न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला--जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.

प्रकरण : प्रार्थना पत्र

(GCMS No.): 2024/60

1. श्रवण पुत्र श्योजी जाति जाट उम्र 56 साल निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद ।
2. श्योजी पुत्र रामजीवण जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद।
3. बजरंग पुत्र भूरा जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद।
4. शिवराज पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद ।
5. भोलू पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद।
6. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद।
7. रामदयाल पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद।
8. रामकिशन पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील मौजमाबाद।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मौजमाबाद ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत,गंगातीकला तहसील मौजमाबाद।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्रः— अर्न्तगत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट ।

उपस्थित : 1. श्री सुरेन्द्र, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. विपक्षी सं 01 से 02 उपस्थित ।

: : आदेश : :

दिनांक :— 10/6/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां मौजा गांव किशनपुरा तहसील मौजमाबाद मे निम्न विवरण की कृषि भूमियां के खसरा नं0 334 व 497 उक्त नम्बरान के पुराने नम्बर 197 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा मिन है खसरा नम्बर 334 रकब 0.58 है0 खसरा नम्बर 497 रकबा 1.95 है0 कुल कता 02 कुल रकबा 2.5300 है0। यह है कि मौजा किशनपुरा के खसरा नम्बर 197 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा आराजीयात आबादी में दर्ज करने की स्वीकृति दी गई थी उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिनांक 20.01.1971 को जारी किया गया था जिसकी अनुपालना मे नायब तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा दिनांक 10.01.1983 को पटवारी हलका गंगातीकलां को पत्र लेख किया जाकर नामांतकरण संख्या 93 दिनांक 10.01.1983 को स्वीकृत किया गया। प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि चली आ रही है परन्तु दौराने भू प्रबधन कार्यवाही प्रश्नगत आराजी जो पूर्व में गैर मुमकिन आबादी थी उसे भूलवश वर्तमान में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि में से आवासीय पट्टे भी जारी कर दिये गये इस प्रकार प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन रास्ते की नही होकर

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

आबादी भूमि है। पूर्व में जो 10 बीघा भूमि आबादी में सपंपिरवर्तित की गई थी उसमें से खसरा नम्बर 334 रकबा 0.58 है0 गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो चुकी है। जो खसरा नम्बर 497 रकबा 1.95 है0 उसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है जो कि शुद्व किया जाना आवश्यक है। वर्तमान नक्शाशीट के अनसार खसरा नम्बर 497 एवं 334 के रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 497 रकबा 0.58 है0 तथा खसरा नम्बर 334 का रकबा 1.95 है0 हो गया इससे यह स्पष्ट है कि जो भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो रखी है वह गलत हो रखी है जो दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजीयात बाबत प्रविष्टि करवाने बाबत ग्रामवासियों ने राजस्व अधिकारियों के यहा प्रा0पत्र0 प्रस्तुत किया तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि जमाबंदी के खसरा नम्बर 334 रकबा 0.58 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी के बजाय रकबा 1.95 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी नया खसरा नम्बर 497 रकबा 1.95 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के बजाय रकबा 0.58 है0 किस्म आबादी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया की ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम किशनपुरा में भू–प्रबन्धन से पूर्व खसरा नं0 197 में कुल रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता था। जिसमें से दिनांक 20.01.1971 को केम्प कोर्ट गंगातीकलां में 10 बीघा आबादी स्वीकृत किया गया था। भू–प्रबन्ध के दौरान इसको 3 खसरों यथा 334, 497, 498 में विभाजित कर 10 वीघा आवंटित आबादी को कम कर खसरा नं0 497 कुल रकबा 1.95 है0 को गै0मु0 रास्ता कर दिया गया। अतः उक्त गलत रास्ता कर दिया गया, जिसे दुरूस्त करते हुए खसरा नं0 497 रकबा 1.95 है0 को खसरा नं0 334 में विलय किया जावें।

प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार मौजमाबाद से रिपोर्ट ली गई प्राप्त रिपोर्टनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम किशनपुरा के आराजी ख0न0 334 रकबा 0.58 है0 किस्म गै0मु0 खाता संख्या 159 में खातेदार खातेदार ग्राम पंचायत गंगातीकलां के नाम दर्ज है व ख0न0 497 रका 1.95 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 1 में दर्ज है। श्रीमान उपजिलाधीश महोदय सांभर के पत्र कमांक 368 दिनांक 20.01.1971 एव नायब तहसीलदार दूदू के कमांक/राजस्व कैम्प/स्पे0/83 की पालना में नामां सख्या 93 दिनांक 10.01.1983 में ख0न0 197 मिन रकबा 10 बीघा गै0मु0 आबादी का नामा0 स्वीकार हुआ, जिसका अमल दरामद जमाबंदी सम्वत 2036–2039 के खाता संख्या 1 में किया गया । जमाबंदी सम्वत 2045–2048 में भी खसरा नं0 197 मि रकबा 10 वीघा गै0मु0 आबादी दर्ज रिकार्ड था, परन्तु नवीन भू–प्रबंध के समय साबिक ख0न0 197 रकबा 27 बीघा

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

18 बिस्वा था, जिसके हाल ख0न0 334 रकबा 0.58 है0 किस्म गै0मु0 आबादी, ख0न0 497 रकबा 1.95 है0 किस्म गै0म0 रास्ता व ख0न0 498 रकबा 4.53 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वर्तमान रिकार्ड मुताबिक दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ख0न0 334 रकबा 0.58 है0 के स्थान पर 1.95 है0 किस्म गै0मु0 आबादी व खसरा नं. 497 का रकबा 1.95 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर रकबा 0.58 है0 किस्म गै0मु0 आबादी दुरस्त करवाया जाना उचित होगा।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर राजस्व गांव किशनपुरा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 मे निम्न विवरण की भूमियां स्थित है खाता सं. 159 की आराजी ख0न0 334 रकबा 0.5800 है0, आराजी ख0न0 336 रकबा 6.8800 है0, आराजी ख0न0 347 रकबा 0.3300 है0 , आराजी ख0न0 349 रकबा 1.1900 है0, आराजी ख0न0 350 रकबा 0.0800 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 9.0600 है0 किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज व खाता संख्या 01 के आराजी ख0न0 497 रकबा 1.9500 है0, आराजी ख0न0 498 रकबा 4.5300 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 10.01.1983 व जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 की छाया प्रति के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ख0न0 197 रकबा 27 बीघा 18 बीस्वा में से 10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत गंगातीकला के नाम दर्ज हुई थी परन्तु नवीन भू–प्रबन्ध के समय साबिक ख0न0 197 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा से बने नवीन ख0न0 334 गै0मु0 आबादी 0.53 है0 , ख0न0 497 रकबा 1.95 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता, व ख0न0 498 रकबा 4.53 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता साबिक रिकार्ड के अनुसार दर्ज नहीं होकर वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज है। तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त रिपोर्ट में भी साबिक रिकार्ड , रकबा बरारी एवं मौका स्थिति के अनुसार ख0न0 334 का रकबा 0.58 है0 के स्थान पर 1.95 है0, किस्म गै0मु0 आबादी व खसरा नम्बर 497 का रकबा 1.95 है0 के स्थान पर 0.58 है0 किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज किया जाना उचित बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत गंगाती कला के जवाब व तहसीलदार मौजमाबाद के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है व आदेश सुनाया जाता है :–

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव किशनपुरा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता सं. 159 व खाता संख्या 01 में जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 व 2045 से 2048 दर्ज ख0न0 197 रकबा 27 बीघा 18 बीस्वा से नवीन भू–प्रबन्ध में बने नये खसरा नम्बरान का रकबा व किस्म श्रीमान उपजिलाधीश महोदय सांभर के पत्र कमांक 368 दिनांक 20.01.1971 के कम में दर्ज नामान्तरण संख्या 93 दिनांक 10.01.1983 के आधार साबिक रेकार्ड में दर्ज हुए रकबे व किस्म अनुसार वर्तमान रेकार्ड में दर्ज किये जाने के

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10/6/15 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला जयपुर

मौजमाबाद (जयपुर)